Miche Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2096]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 19, 2012/आश्विन 27, 1934

No. 2096

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 19, 2012/ASVINA 27, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2534(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खंड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 20 मार्च, 2012 की सं. का.आ. 468(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खंड 11-ए के उप-खंड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तिया/सुझाव आमंत्रित किए गए।

- 2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपित्तयों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; और
- 3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड ।।-ए के उपखण्ड(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस

अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन

गांव मुबारकपुर, सेक्टर-40, रोहिणी स्थित 4826.96 वर्ग मीटर क्षेत्र के भूमि उपयोग को केवल कब्रिस्तान (शमशान भूमि) हेतु 'आवासीय' से 'सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं' में परिवर्तित किया जाना है, इस क्षेत्र की सीमाओं का विवरण निम्नानुसार है-

उत्तर - आवासीय

पूर्व - आवासीय

दक्षिण - आवासीय

पश्चिम - आवासीय

[फा. सं. के-13011/5/2011-डोडो-1(डोडोआईबी)] जे. पी. अग्रवाल, निदेशक (दिल्ली प्रभाग)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2012

- S.O. 2534(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No.468(E) dated 20th March, 2012 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
 - 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and
 - 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

Change of Land use of area 4826.96 sqm in village Mubarakpur, Sector-40, Rohini, Delhi from 'Residential' to 'Public & Semi Public facilities' for Kabristan (Burial Ground) only with the following boundary:

North -	Residential
East -	Residential
South-	Residential
West -	Residential

[F. No. K-13011/5/2011-DD-J(DDIB)]
J. P. AGRAWAL, Director (Delhi Division)